न्यायाजय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
<u>कक्ष संख्या–3, लखनऊ।</u>

जमानत प्रार्थना पत्र सं0 6440/2022
सी.एन.आर नं0 UPLKo10109032-2022
मुकदमा अपराध सं0 290/2022
घारा 311,363,368,370/34 भा0दं0सं0
थाना पारा, लखनऊ।

आशीष .... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य ..... विपक्षी/अभियोगी

<u>दिनांक 04–08–2022</u>

प्रार्थी/अभियुक्त आशीष की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता मय शपथपत्र, शपथपत्र में उल्लिखित आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्को को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादिनी मुकदमा अंशिका द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में दर्ज करायी गयी कि प्रार्थिनी अपने पुत्र ऋषि के इलाज कराने रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल गयी थी अपने साथ अपना छोटा बेटा शनि के 23 दिन का साथ ले गयी थी, अस्पताल गेट के सामने से ई–रिक्शा पर बैठी। उसी पर एक महिला और आकर प्रार्थिनी के बगल में बेटी और उसने उसके बच्चे को उससे मांगा और अपनी गोद में ले लिया। उसके बाद रेलवे क्रासिंग पर रिक्शा से उतर गये और दोनों साथ चलने लगे। रसतोगी ज्वैलर्स के पास वह अग्रायात महिला उससे पीछे हो गयी और अचानक उसके बच्चे कोलेकर कहीं भाग गयी। अतः उक्त प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त आशीष की ओर से उदित नारायन तिवारी का शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये मुख्य रूप से यह कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इससे पूर्व उसके द्वारा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था और न ही किसी न्यायालय में लम्बित है। वादिनी मुकदमा द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। उपरोक्त मुकदमें में प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा एवं मिथ्या तथ्यों के आधार फंसाया गया। अभियोजन कथानक पूर्णतः असत्य और मनगढ़न्त है। वादिनी मुकदमा का छोटा पुत्र शनि को प्रार्थी के पास से बरामदी बतायी गयी है जो पूर्णतः निराधार है। प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है वह निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 27–06–2022 से

जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत देने के लिये तैयार है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त नामजद नहीं है। उसके पास को कोई बच्चे की बरामदगी नहीं हुई पुलिस द्वारा झूठी बरामदगी बतायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 27–06–2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

पत्रावली के परिशीलन से पाया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर वादिनी मुकदमा के छोटे बेटे शनि को अपहरण कर लिये जाने एवं उसकी बरामदगी का अभियोग है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त नामजद नहीं है दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। प्रकाश में आये अभियुक्त अफजाज ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 में कथन किया है कि वह काकोरी ममें बाइक मिस्त्री का कार्य करता है। उसका मित्र आशीष उसकी दुकान पर अक्सर आता जाता है उसने प्रार्थी से अपनी बहन प्रीती के बारे में बताया कि प्रीती को कोई सन्तान नहीं है तथा वह पालने के लिये सन्तान चाहती है। यदि कोई छोटा शिशु मिल जाये तो हम ले सकते हैं और उसके बदले में पैसे दे देगें। इस बारे में अभियुक्त ने अपनी मित्र गीता से बताया तो गीता ने बच्चा दिलाने का भरोसा दिया। दिनांक 13–06–2022 को गीता ने उसे रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल के गेट पर बुलाया वह वह अपने कस्टमर की गाड़ी यू0पी0–बीएफ/2491 डिस्कवर लेकर रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल राजाजीपुरम आया तथा गीता जिस ई–रिक्शा पर बैठी थी उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। जलालपुर क्रासिंग से कुछ दूर जाने के बाद गीता अपने गोद में एक बच्चा लेकर उतरी उसके साथ एक महिला एक बच्चे के साथ उतरी और दोनों आगे आगे जोन लगे गीता ने उसे हाथ के इशारे से बुलाया वह गाड़ी लेकर गीता के पास पहुंचा और गीता को बच्चे सहित गाड़ी पर बिठाया और पीछे मुड़ कर भाग आया तथा आशीष व आशीष की बहन प्रीती को बुला कर बच्चे को 2 लाख रूपयें में बेच दिया। अभियुक्त को पुलिस द्वारा दौरान विवेचना पकड़ा गया और उसके कब्जे से वादिनी मुकदमा अंशिका का छोटा बेटा शनि की बरामदगी हुई है। इस प्रकार सह–अभियुक्त के बयानों से घटना में अभियुक्त की पूर्ण संलिप्तता पायी जाती है, घटना अत्यन्त गम्भीर प्रकृति की है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति तथा प्रार्थी/अभियुक्त की कथित घटना में संलिप्तता को देखते हुये जमानत पर रिहा किये

जाने का आधार नहीं पाया जाता है। अतएव जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त आशीष की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं0 6440/2022 सम्बन्धित मुकदमा अपराध सं0 290/2022 अन्तर्गत धारा 311, 363, 368, 370/34 भा0दं0सं0 थाना पारा, जनपद लखनऊ निरस्त किया जाता है।

दिनांक 04–08–2022

(अनुरोध मिश्र)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–3, लखनऊ।